रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 जुलाई, 2005/11 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जुलाई, 2005

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-19/2005-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30-6-2005 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश

संख्यांक 5) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

2005 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2005

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2005 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— धारा 28-क का जोड़ना।

"28-क. छूट देने की शक्ति.—(1) प्राधिकरण सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यदि समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा या तो पूर्णतया या केवल उस विस्तार तक, जो तथाकथित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आपरेटरों या यानों के किसी भी वर्ग को ऐसे यानों की पार्किंग के लिए या प्राधिकरण द्वारा बस अड्डे पर उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपयोग या उपभोग के लिए प्रभार्य फीस या किराए से छूट दे सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक आदेश इसके जारी करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।"

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला:
तारीख .... जून, 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Himachal Pradesh Ordinance No. 5 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH BUS STANDS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2005

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (*Act No.* 18 *of* 1999).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority (Amendment) Ordinance, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2000.

Addition of section 28-A.

2. After section 28 of the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (Act No. 18 of 1999), the following new section shall be added, namely :—

"28-A. *Power to exempt.*—(1) The Authority with the previous approval of the Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the public interest, for the reasons to be recorded in writing, may, by order, exempt either wholly or to such extent only as may be specified in the said order any person or class of persons, operators or any class of vehicles from the payment of fees or rent chargeable for the parking of such vehicles or for use and enjoyment by such persons, of facilities and other services provided by the Authority at Bus Stand.

(2) Every order issued under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the State Legislature."

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित